उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मान्नीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 22 फरवरी 2019 को सम्पन्न विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग कियाः—

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रोफेसर मधुरेन्द्र कुमार, डी0एस0बी0 कैम्पस, नैनीताल — सदस्य
3. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे, निदेशक समाज विज्ञान वि0शा0 — सदस्य
4. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन — सदस्य
5. डॉ0 सूर्यभान सिंह, सहायक प्रध्यापक, राजनिति विज्ञान — सदस्य
6. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, परीक्षा नियंत्रक — सदस्य सचिव
7. श्री भरत सिंह, कुलसचिव — आमंत्रित सदस्य
8. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक — आमांत्रित सदस्य

सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक (सदस्य सचिव, परीक्षा समिति) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, परीक्षा समिति) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का परीक्षा समिति की नौवीं बैठक में स्वागत किया गया। परीक्षा नियंत्रक ने विशेषरूप से समिति की बैठक में उपस्थित वाह्य सदस्य प्रोफेसर मधुरेन्द्र कुमार का स्वागत किया गया ।

तदुपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्ताववार चर्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

प्रस्ताव—9.1 आठवीं बैठक दिनांक 10 मार्च 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

परीक्षा समिति की आठवीं बैठक 10 मार्च 2016 के कार्यवृत्त का परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव— 9.2 परीक्षा समिति की आठवीं बैठक दिनांक 10 मार्च 2016 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही

परीक्षा समिति की आठवीं बैठक दिनांक 10 मार्च 2016 के निर्णयों की कृत कार्यवाही की जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को विस्तृत रूप में दी गई जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा सुझाव दिया गया आगामी बैठकों में कृत कार्यवाही के साथ—साथ कार्यवाही की संक्षिप्त आख्या का विवरण लिखा जाए।

2.3.19

प्रस्ताव– 9.3 विश्वविद्यालय के आगामी परीक्षा केन्द्र शहरों के नाम जहां पर परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित हैः–

आगामी परीक्षा जून–2019 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र (शहरों) के नामों धुमाकोट, थलिसैंण व देवीधुरा पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव– 9.4 विश्वविद्यालय के आगामी परीक्षा हेतु बन्द होने वाले केन्द्र जनता इण्टर कालेज, टकोलीखाल व राजकीय इण्टर कालेज, नाचनी

परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किये जाने वाल उड़नदस्ता टीम व पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचना के कम में व नकल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित केन्द्रों को बन्द किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव– 9.5 परीक्षा कार्य हेतु अवकाश दिवस पर कार्य किये जाने पर प्रतिकर की सुविधा दिये जाने के संबंध में।

शिक्षक/शिर्क्षाणत्तर कार्मिकों द्वारा परीक्षा कार्यकाल की अवधि में अवकाश दिवस में कार्य किया जाता है तो उसके बदले उन्हें प्रतिकर देय होगा जिसका उपभोग उनके द्वारा परीक्षा सत्रान्त समाप्ति की अवधि तक किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव– 9.6 विश्वविद्यालय जून/जुलाई वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा–2018 से संबंधित नकल प्रकरण के संबंध में।

नकल प्रकरण की आख्या से अवगत होते हुए समिति द्वारा नकल प्रकरण के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव– 9.7 विश्वविद्यालय जून/जुलाई वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा–2018 के परीक्षाफल घोषणा के संबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षाफल की सूची को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2.3.19

प्रस्ताव– 9.8 भारत से बाहर जाने वाले विघार्थियों को Transcript जारी कर विश्वविद्यालय स्तर से भेजे जाने के संबंध में।

विद्यार्थी / दूतावासों के आवेदन पर संबंधित की Transcript को विश्वविद्यालय स्तर से भेजा जाना है तो इस हेतु संबंधित द्वारा आवेदन कर व निर्धारित शुल्क ₹ 500 भुगतान किये जाने पर संबंधित को Transcript विश्वविद्यालय स्तर से प्रेषित किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव– 9.9 परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले तैनाती मानकों में संशोधन हेतु सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सहयोग करने वाले प्राध्यापकों, कर्मचारियों के प्रतिदिन आकस्मिक व्यय को ₹ 50 से ₹ 100 किए जाने के संबंध में।

परीक्षा केन्द्रों में तैनाती मानकों के मानदेय दरों में प्रतिदिन आकस्मिक व्यय ₹ 50 को बढ़कर ₹ 100 किये जाने हेतु समिति द्वारा आगामी वित्त समिति की बैठक अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव– 9.10 प्रवेश परीक्षा हेतु सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने व ₹ 1500/– के आधार पर भुगतान किये जाने पर प्राप्त कार्योत्तर स्वीकृति को समिति के अवलोकन /संस्तुति हेतु।

प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में सहायक केन्द्राध्यक्ष की तैनाती व ₹ 1500/– भुगतान किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव– 9.11 विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले परीक्षकों हेतु स्थानीय यात्रा ₹ 500 दिये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा परीक्षा कार्य के लिए वाह्य परीक्षक को लोकल यात्रा हेतु न्यूनतम ₹ 500 (08 किलो मीटर तक) दिये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन हुआ।

Seen & approved
[signature] 2/3/19

[signature] 2.3.19
(प्रो0 पी0डी0 पंत)
परीक्षा नियंत्रक/सदस्य सचिव परीक्षा समिति